

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12092023-248661
SG-DL-E-12092023-248661असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2023/भाद्र 21, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 217
No. 278]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2023/BHADRA 21, 1945	[N. C. T. D. No. 217

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 31 अगस्त, 2023

फा. सं. 18(6)/2013/डीआईएसएमएच/होमियो/आरआर/2429.—माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एतद् द्वारा इस सरकार की दिनांक 03 फरवरी, 2023 की अधिसूचना फा. सं. 18(6)/2013/डीआईएसएमएच/होमियो/आरआर/1383 अर्थात् दिल्ली स्वास्थ्य सेवाएं (होम्योपैथी शिक्षण संवर्ग) नियमावली, 2023 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करते हैं।

उक्त अधिसूचना में, प्रधानाचार्य के पद से संबंधित अनुसूची III, क्रम सं. 1 पर कॉलम " पदोन्नति हेतु चयन का क्षेत्र एवं न्यूनतम अर्हक सेवा " में " स्तर 14 (144200 – 218200/— रुपये) में प्रोफेसर " शब्दों तथा अंकों के स्थान पर " स्तर 13 (123100 – 215900/— रुपये) में प्रोफेसर " शब्दों तथा अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. के. मीणा, उप सचिव

टीप : दिनांक 03 फरवरी, 2023 की संख्या 850 डीजी/2023 द्वारा दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग – 4 में मूल अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT**CORRIGENDUM**

Delhi, the 31st August, 2023

F. No. 18/(6)/2013/DISMH/ Homoeo/RR/2429.—The Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, issues the following Corrigendum in respect of this Government's Notification F. No. 18/(6)/2013/DISMH/Homoeo/RR/1383 dated 03rd February, 2023, namely Delhi Health Service (Teaching Cadre of Homoeopathy) Rules, 2023.

In the said Notification, in Schedule III, at S. No. 1 related to the post of Principal, in column "Field of Selection and minimum qualifying service for promotion", for the words and figure "Professors in level 14 (Rs. 144200-218200/-)," the words and figure "Professors in level 13 (Rs. 123100-215900/-)," shall be substituted.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R. K. MEENA, Dy. Secy.

Note: The Principal Notification was published in Extra-Ordinary Part-IV of The Delhi Gazette, vide number 850 DG/2023 dated the 3rd February 2023.